संख्या- 188 /2024/1108/चार-2024

प्रेषक,

रघुनाथ प्रसाद वर्मा,
अनु सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक,
संस्कृति निदेशालय, उ0प्र0,
जवाहर भवन, लखनऊ।

संस्कृति अनुभागः लखनऊः दिनांक 28 मार्च, 2024

विषय- तहसील सिरसागंज, जनपद फिरोजाबाद में दिनांक 03.03.2024 को भक्तिमय सांस्कृतिक कार्यक्रम के आयोजन पर हुए वास्तविक व्यय की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कृपया अपने पत्र संख्या-5265/सं0नि0-15(103)/2023-24, दिनांक 21 मार्च, 2024 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2. इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रस्तावानुसार चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 में तहसील सिरसागंज, जनपद फिरोजाबाद में दिनांक 03.03.2024 को भक्तिमय सांस्कृतिक कार्यक्रम हेतु क्रमांक-3 एवं 4 (मे0 एस0 3 इन्फो मीडिया प्रा0लि0 लखनऊ का बिल-रू0 1248147/- एवं मे0 ड्रीम 360 लखनऊ का बिल-रू0 2662899/-) पर अंकित कुल धनराशि रू0 39,11,046/- (रूपये उन्तालीस लाख ग्यारह हजार छियालिस मात्र) को छोड़ते हुए शेष धनराशि रू0 17,24,029/-/-(रू0 सत्रह लाख चौबीस हजार उन्तीस मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति निम्न शर्तों के अधीन श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष प्रदान करते हैं :-

(1) मे0 एस0 3 इन्फो मीडिया प्रा0लि0 लखनऊ का बिल-रू0 1248147/- एवं मे0 ड्रीम 360 लखनऊ का बिल-रू0 2662899/- (कुल धनराशि रू0 39,11,046/-(रूपये उन्तालीस लाख ग्यारह हजार छियालिस मात्र) की स्वीकृति के संबंध में युक्तियुक्त प्रस्ताव प्राप्त होने पर पृथक से विचार किया जायेगा।

(2) निदेशक, संस्कृति निदेशालय, लखनऊ द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा कि यह कार्य न तो पूर्व में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम के अन्तर्गत स्वीकृत है और न वर्तमान में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम से आच्छादित किया जाना प्रस्तावित है।

(3) प्रस्तावानुसार अतिविशिष्ट ख्यातिलब्ध कलाकारों के मानदेय धनराशि का कार्योत्तर अनुमोदन प्रदान किया जाता है।

(4) उक्त स्वीकृत धनराशि का भुगतान वास्तविक बिल/ बाउचर्स के आधार पर किया जायेगा।

(5) समस्त कार्यों का भौतिक सत्यापन कर निर्धारित मानकों का अनुपालन करते हुए नियमानुसार भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

(6) उक्त स्वीकृत धनराशि का आहरण/उपयोग नियमानुसार किया जायेगा।

(7) उक्त स्वीकृति इस प्रतिबंध के अधीन है कि उपरोक्त स्वीकृत धनराशि आवंटित मदों पर व्यय की जायेगी, व्यय की अन्य मदों हेतु कदापि उपयोग नहीं किया जायेगा।

(8) स्वीकृत धनराशि का संबंधित को समयान्तर्गत भुगतान के उपरान्त यथाशीघ्र शासन को सूचित किया जायेगा।

2- उपर्युक्त स्वीकृति से संबंधित व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 के आय-व्ययक के अनुदान सं0-92 के अन्तर्गत 'लेखाशीर्षक -2205-कला तथा संस्कृति-800-अन्य व्यय-21-रामोत्सव अयोध्या 2023-24-42- अन्य व्यय' मद में उपलब्ध धनराशि से किया जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या- 2/2023/बी-1-227/दस-2023-231/2023 दिनांक 17 मार्च, 2023 में प्रतिनिधानित अधिकारों के अन्तर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

भवदीय
रघुनाथ प्रसाद वर्मा
अनु सचिव।

संख्या- 188 /2024/1108/ चार-2024, तद्दिनांक

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम, उ0प्र0, प्रयागराज।
2- वित्त नियंत्रक, संस्कृति निदेशालय, उ0प्र0 जवाहर भवन, लखनऊ।
3- मुख्य कोषाधिकारी, कोषागार, जवाहर भवन, लखनऊ ।
4- वित्त(लेखा) अनुभाग-1/वित्त(ई-7) अनुभाग, उ0प्र0 शासन।
5- गार्ड फाइल।

आज्ञा से
रघुनाथ प्रसाद वर्मा
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।